

एसईसी-1/187(2)/2025/2323

दिनांक : 27 जून, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955


विषय: सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI450733) को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल"-आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। उक्त कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी भी है। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

ज्योति शुभरा अमिताभ
(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वड़ोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

“दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड” नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन”

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत ब्यौरा
1.	इकाई का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे आकार, कुल व्यापार आदि	<p>नाम : दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी : ₹ 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी : 5,00,000/- कुल व्यापार: लागू नहीं (यह एक नवीन निगमित कंपनी है जो कि अपना व्यापार शुरू करने जा रही है।)</p> <p>केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 मई, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना आवंटित की है, जिसमें आरईसी पावर कंसल्टेंसी लिमिटेड डेवलपमेंट एंड (आरईसीपीडीसीएल) को आरई उत्पादन के एकीकरण हेतु दावणगेरे में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण की स्थापना हेतु बोलीदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन 26 जून, 2025 को किया गया है। टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, उक्त कंपनी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दी जाएगी।</p>
2.	<p>क्या अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही इकाई में कोई हित है?</p> <p>यदि हां, तो ब्याज की प्रकृति और उसका विवरण क्या है और क्या यह कार्य "दूरी पर" किया जाता है?</p>	<p>दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है।</p> <p>प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई हित नहीं है।</p>
3.	अधिकृत की जाने वाली ईकाई से संबंधित उद्योग	विद्युत क्षेत्र

4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (लक्ष्य इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण, यदि उसका व्यवसाय, जो कि इसमें शामिल हो परंतु सीमित नहीं हो, सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय से बाहर है)	कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के एकीकरण के लिए दावणगेरे में ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए निगमित किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 8 मई, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि।	लागू नहीं।
7.	क्या प्रतिफल की प्रकृति नकद प्रतिफल है या शेयर स्वैप और उसका विवरण।	इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 100% नकद अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किये गये हैं।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर के लिए 100% अभिदान
9.	अर्जित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अर्जित शेयरों की संख्या	100%
10.	अधिग्रहीत उत्पादों/व्यवसाय की दृष्टि से अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि, निगमन की तिथि, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, वह देश जिसमें अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)	आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर्राज्यीय एवं अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।
